N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0286 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 10/12/2024 18:01 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 05/12/2024 **Date To (दिनांक तक):** 09/12/2024

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:00 बजे **Time To (समय तक):** 15:42 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 10/12/2024 **Time (समय):** 16:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 10/12/2024 18:01:21 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 226 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b)**Address(पता):** JODHPUR DISKOM DEVIKOT, KARYALY KANISHTH ABHIYANTA/PVS, DISTRICT JAISALMER

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):
   (a) Name(नाम): SAKUR KHAN URF SUKAR KHAN
   (b) Father's Name (पिता का नाम): GAJN KHAN
   (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1993 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA
   (e) UID No(यूआईडी सं.):
   (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) Occupation (व्यवसाय):
   (i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GAON IMAM KI DHANI DEVIKOT, FATEHGARH, JAISALMER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GAON IMAM KI DHANI DEVIKOT, FATEHGARH, JAISALMER, RAJASTHAN, INDIA

   (j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	KABEERARAM		पिता:PUNJARAM	1. G 214,SARTAJ HOTAL KE PICHHE,SANVAL COLONY,JAISALMER,RAJASTH
2	TRIPALRAM		पिता:KUTALARAM	1. KOTRI,FATEHGARH,JAISALME

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):
9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		30,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 30,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा मे, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर स्पेशल यूनिट जोधपुर विषयः- रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाने बाबत। महोदयजी, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मै सकूर खा पुत्र गजन खा निवासी ईमामो की ढाणी देवीकोट जिला जैसलमेर का निवासी हू। मैने मेरे रिश्तेदार श्री हबीब खा निवासी देवीकोट से ग्राम देवीकोट मे स्थित 80 बीघा जमीन 2 वर्ष पूर्व किराये पर ले रखी थी जिस पर टयूबवैल खुदवा रखी है। उक्त टयुबवैल पर सुपर श्रेणी का कनेक्शन ले रखा है उक्त कनेक्शन मेरे द्वारा ही मेरे रिश्तेदार हबीब खा के नाम से लेकर विभागीय नियमानुसार जेईएन देवीकोट से स्वीकृति प्राप्त कर बिजली लाईन के पोल व सुपर श्रेणी का ट्रान्सफार्मर विभाग के प्राधिकृत ठेकेदार से अपने स्वयं के खर्चे से खरीद कर लगाये थे उक्त ट्रान्सफार्मर करीब 10 रोज पूर्व जल जाने पर मैने श्री कबीरराराम जेईएन साहब बिजलीघर देवीकोट से मिलकर नया ट्रान्सफार्मर दिलवाने की कार्यवाही करवाने हेतु निवेदन करने पर उनके द्वारा लाईनमैन को भेजकर ट्रान्सफार्मर जलने की रिपोर्ट बनाकर अपने हस्ताक्षर से सहायक अभियन्ता फतेहगढ को भेजने पर मेरे को सामान्य श्रेणी का ट्रान्सफार्मर इश्यू किया गया जो मैने मेरे टयुबवैल पर लगाकर सिंचाई प्रारंभ की। आज से करीब 5-6 दिन पूर्व श्री कबीरराराम जेईएन मेरे टयुबवैल पर आया एव मुझे कहा कि तम्हे गलत ट्रान्सफार्मर इश्यू हो गया है तुम्हारा ट्रान्सफार्मर सुपर श्रेणी का था। जबकि तुम्हे सामान्य श्रेणी का ट्रान्सफार्मर इश्यू हो गया है यह कह कर मेरे टयुबवैल पर लगा नया ट्रान्सफार्मर उतार कर ले गये। जिस पर दूसरे रोज ही श्री कबीरराराम जेईएन से मै उनके कार्यालय मे मिला तो उन्होने कहा कि तुम्हे खर्चे पानी के कुछ रूपये देने पडेंगे नही तो मै तुम्हारे ट्रान्सफार्मर नही लगने दूंगा तथा जो पूर्व मे सुपर श्रेणी की बिजली लाईन के पोल लगा रखे है वो भी विभाग द्वारा लगा रखे है जिन्हे भी उखाड कर ले जाउंगा। जिस पर मैने उनसे हाथा जोडी व विनती की तो उन्होने कहा कि तुम्हे नया ट्रान्सफार्मर लगा कर बिना बाधा के अपनी टयूबवैल चलानी है तो 50,000 रूप्ये मुझे देने पडेंगे, तब मैने श्री कबीरराराम जेईएन को कहा कि मैने विभाग के नियमानुसार सुपर श्रेणी का ट्रान्सफार्मर लगाते वक्त स्वयं के खर्चे से लाईन के पोल व ट्रान्सफार्मर लगाये थे जिसकी रसीद भी मेरे पास पडी है मगर जेईएन साहब ने कहा कि बिजली लाईन सुरक्षित रखकर बिना अवरोध टयूबवैल चलानी है तो 50,000 रूपये देने पडेंगे जिस पर मैने राशि अधिक होने व कुछ राशि कम करने का अनुरोध करने पर श्री कबीरराराम जेईएन 30,000 रूपये बतौर रिश्वत लेने के लिये सहमत हुआ। मै श्री कबीरराराम जेईएन को को रिश्वत नही देकर उन्हे रंगे हाथो पकडवाकर कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हूँ। मेरी श्री कबीरराराम जेईएन से कोई आपसी रंजिश एव लेनदेन नही है। कानूनी कार्यवाही करावे। दिनांक 05.11.2024 भवदीय एसडी सकुर खा पुत्र गजन खा निवासी ईमामो की ढाणी देवीकोट जिला जैसलमेर मो. न.-[redacted] एसडी भूराराम एसडी 09.12.2024 पदमपाल सिह एसडी कपील चौधरी 09.12.2024 कार्यवाही पुलिस दिनांक 05.12.2024 समय 11.00 ए.एम. इस समय परिवादी श्री सकुर खा पुत्र गजन खा निवासी ईमामो की ढाणी देवीकोट जिला जैसलमेर ने कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट जोधपुर में उपस्थित होकर मन् पदमपालसिह निरीक्षक पुलिस के समक्ष एक टाईपसुदा रिपोर्ट उपरोक्त तथ्यों की पेश की एवं दरियाफ्त पर बताया कि मै पढा लिखा नही हू सिर्फ हस्ताक्षर करना जानता हूं मैने उक्त रिपोर्ट कचहरी जोधपुर से मेरे विश्वसनीय जान पहचान वाले से टाईप की दुकान से टाईप करवाकर लाया हू। उक्त रिपोर्ट मे अंकित समस्त तथ्य सही है । मैने मेरी टयुबवैल पर विभाग के नियमानुसार सुपर श्रेणी का ट्रान्सफार्मर लगाते वक्त स्वयं के खर्चे से लाईन के पोल व ट्रान्सफार्मर लगाये है मगर श्री कबीरराराम जेईएन साहब मेरी टयुबैल पर नया ट्रान्सफार्मर लगाने एव बिजली लाईन के पोल नही हटाने एव बिना अवरोध टयूबवैल चलाने देने की एवज मै 50,000 रूपये रिश्वत की मांग की है मेरे द्वारा कुछ राशि कम करने का अनुरोध करने पर श्री कबीरराराम जेईएन 30,000 रूपये बतौर रिश्वत लेने के लिये सहमत हुआ। मैं उन्हें अपने जायज काम की एवज में रिश्वत नहीं देना चाहता एवं कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हूं साथ ही अपनी रिपोर्ट में अंकित तथ्य सही होना तथा रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी श्री सकुर खा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं दरियाफ्त से प्रथम दृष्टया मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया जाने पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय मे उपस्थित नही होने एव बाहर होने के कारण परिवादी की रिपोर्ट के समस्त तथ्य जरिये फोन उन्हे निवेदन करने पर उन्होने मन निरीक्षक पुलिस को रिश्वती राशि मांग सत्यापन व अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित फरमाया जाने पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया गया। जिस पर

कार्यालय में उपस्थित श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 की उपस्थिति प्राप्त कर उनको बुलाने के मन्तव्य से अवगत कराया तथा कानि. प्रकाश व परिवादी श्री सकूर खा का आपस मे परिचय करवाया जाकर मोबाईल नम्बरों का आपस में आदान-प्रदान करवाया गया। तत्पश्चात ब्यूरो कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकार्डर (डीवीआर) मय नया मैमोरी कार्ड मंगवाया जाकर डिजिटल वॉईस रिकार्डर की संचालन विधि परिवादी श्री सकूर खा व कानि. प्रकाश को समझाईश की जाकर वक्त 02.00 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा एक नया मैमोरी कार्ड खाली होना सुनिश्चित कर कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में लगाकर डिजिटल वॉईस रिकार्डर कानि. प्रकाश को सुपुर्द कर परिवादी श्री सकूर खा एवं कानि. प्रकाश को आवश्यक हिदायत कर संदिग्ध अधिकारी श्री कबीराराम जेईएन से रिश्वती राशि मांग सत्यापन की वार्ता करवाने हेतु देवीकोट जिला जैसलमेर के लिए परिवादी के निजी वाहन से रवाना किया। वक्त 09.08 पी.एम. पर कानि. प्रकाश ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल कर बताया कि परिवादी श्री सकूर खा की आरोपी कबीराराम जेईएन से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता हो गई है आरोपी द्वारा परिवादी से 30,000रूपये रिश्वती राशि मांग की है तथा रिश्वती राशि लेकर सोमवार दिनांक 9.12.2024 को बुलाया है एव कानि प्रकाश ने अपने मोबाईल से ही परिवादी सकूर खा से मन निरीक्षक पुलिस की वार्ता करवाई जिस पर परिवादी सकूर खा ने भी संदिग्ध अधिकारी कबीराराम से रिश्वत राशि मांग के क्रम मे वार्ता होना बताया। जिस पर श्री प्रकाश कानि को निर्देशित किया कि परिवादी श्री सकूर खा को 30,000 रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 9.12.2024 को प्रातः 7 एएम पर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द करे साथ ही कार्यालय डीवीआर सुरक्षित साथ लेकर आये एव परिवादी को वही पर छोडकर उपरोक्त तय की गई तारीख को कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने हेतु निर्देशित करें तथा डी.वी.आर. सुरक्षित लेकर कार्यालय आये। दिनांक 06.12.2024 को वक्त 12.15 पी.एम. पर श्री प्रकाश कानि कार्यालय हाजा पर उपस्थित होकर कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकार्डर स्वीच आॅफ सुदा मन निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया तथा बताया कि दिनांक 5.12.2024 को मै व परिवादी श्री सकूर खा आपके निर्देशानुसार कार्यालय का डीवीआर मय मैमोरी कार्ड साथ लेकर परिवादी के निजी वाहन से जोधपुर से रवाना होकर समय 7-45 पीएम पर देवीकोटं बस स्टैण्ड पर पहुचें जहां पर परिवादी से गोपनीय रूप से उनके स्तर पर संदिग्ध अधिकारी की उपस्थिति बाबत मालूमात करवाया तो परिवादी ने अपने स्तर पर मालूम कर बताया कि आरोपी श्री कबीराराम अपने निवास स्थान सरकारी आवास देवीकोट पर ही। जिस पर मै व परिवादी वहा से परिवादी के निजी वाहन से रवाना होकर संदिग्ध अधिकारी के सरकारी आवास देवीकोट के पास पहुचे जहा पर गोपनीय रूप से मैने कार्यालय का डिजिटल वायस रिकार्डर ऑन कर परिवादी को सुपुर्द कर आरोपी से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु आरोपी के निवास स्थान की तरफ रवाना किया एव मै स्वयं वही पर अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के वापिस आने के ईन्तजार मे मुकीम हुआ। कुछ समय पश्चात परिवादी आरोपी के निवास स्थान से रवाना होकर मेरे पास आया जिस पर मेने परिवादी से डिजिटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच आॅफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। तथा परिवादी ने मुझे बताया कि मै आपके पास से रवाना होकर कबीराराम जेईएन के निवास स्थान पर पहुचा जहा मुझे कबीराराम जेईएन साहब मिले, जिनसे मेरी वार्ता हुई दौराने वार्ता मैने जेईएन साहब को मेरे टयूबवैल पर नया ट्रान्सफार्मर लगाने तथा बिजली लाईन के खम्भे नही उखाडने हेतु निवेदन किया जिस पर जेईएन साहब ने मेरे उपरोक्त कार्य की एवज मे 50,000 रूप्ये रिश्वत राशि की मांग की जिस पर मैरे द्वारा कुछ राशि कम करने हेतु हाथा जोडी करने पर जेईएन साहब 30,000 रूप्ये रिश्वती राशि लेने हेतु सहमत हुए। जिस पर मै उसी वक्त उनके पूर्व मे कहे अनुसार 5,000 रूप्ये उनको देने लगा तो उन्होने कहा कि सोमवार-मंगलवार को 30,000 रूप्ये साथ ही दे देना। तत्पश्चात मै वहा से रवाना होकर आपके पास आया हू। दिनांक 5.12.2024 को अधिक रा०त्री हो जाने से एव वाहनो की व्यवस्था नही होने से डीवीआर को मेरे पास सुरक्षित रखते हुए मै परिवादी के निवास स्थान पर ही रात्रि मुकीम रहा तथा आपके निर्देशानुसार परिवादी को दिनांक 9.12.2024 को रिश्वती राशि की व्यवस्था कर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर परिवादी को वही पर छोडकर आज सुबह देवीकोट से रवाना होकर कार्यालय पर उपस्थित आया हू। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा डीवीआर को ऑन कर मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो श्री प्रकाश कानि के उपरोक्त बताये तथ्यों की ताईद होकर संदिग्ध अधिकारी द्वारा परिवादी से उसके टयूबवैल पर नया ट्रान्सफार्मर लगाने एव बिजली लाईन के लगे खम्भे नही उखाडने एव विधुत आपूर्ति मे अवरोध नही करने की एवज में 30,000 रूपये रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। तत्पश्चात डिजिटल वाॅयस रिकार्डर को स्वीच आॅफ कर स्वयं की अलमारी मे सुरक्षित रखा। वक्त 04.30 पी.एम. पर दिनांक 09.12.2024 को अग्रिम ट्रैप कार्यवाही प्रस्तावित होने से एवं दिनांक 07.12.2024, 08.12.2024 को राजकीय अवकाश होने से अग्रिम ट्रैप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान दिनांक 9.12.2024 को 7 एएम पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द करवाने हेतू श्रीमान सचिव जेडीए जोधपुर के नाम तहरीर जारी कर श्री गणेश कानि को सुपुर्द कर गवाहान पाबन्द करवाया गया। दिनांक 09.12.2024 वक्त 07.00 ए.एम. पी.एम. पर पूर्व से पाबन्दसुदा परिवादी श्री सकूर खा अपने निजी वाहन से कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया एव मन निरीक्षक पुलिस को बताया कि संदिग्ध अधिकारी कबीराराम जेईएन को रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 30,000 रूप्ये मै अपने साथ लेकर आया हू। वक्त 07.30 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दसुदा जेडीए जोधपुर से दो कार्मिक उपस्थित आये जिन्हे मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय देकर उनसे उनका परिचय पूछने पर उन्होने बारी

बारी से अपना परिचय श्री कपिल चौधरी पुत्र श्री बीरबल चैधरी जाति जाट उम्र 40 वर्ष निवासी मकान न. 99 ए भगत की कोठी जोधपुर हाल सूचना सहायक जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर मो. न. [redacted] एव श्री भूराराम पुत्र श्री चैनाराम गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 33 वर्ष निवासी गुर्जरो का बास बनाड हाल पटवारी जेडीए जोधपुर मो न. [redacted] होना बताया। जिस पर दोनो कार्मिको को बुलाने के मंतव्य से अवगत करवाकर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त दोनों कार्मिको का व कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री सकूर खा का आपस में परिचय करवाकर, परिवादी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत टाईपसुदा रिपोर्ट दोनो कार्मिको पढ़ाई गई तथा ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकार्डर जिसमें परिवादी तथा आरोपी के मध्य आज दिनांक 05.12.2024 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के क्रम में हुई वार्ता रिकार्ड है उक्त रिकार्ड वार्ता के मुख्य-मुख्य अंशों को उपस्थित कार्मिको को सुनाया गया। दोनों कार्मिको द्वारा परिवादी की रिपोर्ट को पढ़कर एव रिकार्ड वार्ता मुख्य-मुख्य अंशो को सुनकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में स्वतत्र गवाहान रहने की मौखिक स्वीकृति दी एवम परिवादी की रिपोर्ट पर अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर किये। डिजिटल बॉयसरिकार्डर मे लगा मैमोरी कार्ड जिसमें परिवादी व आरोपी की वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन हुई वार्ता रिकार्ड है उक्त मैमोरी कार्ड को सुरक्षित हालत में डिजिटल बॉयसरिकार्डर से निकालकर एक सफेद लिफाफे में डालकर अपनी अलमारी में सुरक्षित रखा जाकर लॉक किया गया। तत्पश्चात वक्त 9.15 ए. एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री सकुर खां से आरोपी श्री कबीराराम, कनिष्ठ अभियंता को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहा गया। जिस पर परिवादी श्री सकुर खां ने भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 60 नोट कुल राशि 30,000/-रूपये पेश किये। परिवादी श्री सकुर खां द्वारा प्रस्तुत नोटों के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित किये गये जिनका विवरण निम्नानुसार है:- 1. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 3 PM 564531 2. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 0 LD 859366 3. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 7 QR 317491 4. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 7 GF 313215 5. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 6 TT 742164 6. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 6 PC 246238 7. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 7 BN 806422 8. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 5 TG 316530 9. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 2 HE 258099 10. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 5 WR 549062 11. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 2 RR 484466 12. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 3 LD 200797 13. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 0 BW 227513 14. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 1 HV 071714 15. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 5 SL 667835 16. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 7 GK 593664 17. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 1 FK 997158 18. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 8 BB 923990 19. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 4 EH 720027 20. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 5 ES 019641 21. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 6 GQ 999924 22. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 1 KL 393432 23. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 9 BL 993022 24. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 6 NS 200318 25. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 8 AT 782637 26. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 2 WH 332031 27. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 6 QK 872974 28. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 9 LT 579889 29. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 5 HT 944344 30. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 8 LL 938476 31. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 4 PS 107152 32. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 0 PF 417096 33. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 6 CA 496844 34. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 6 CA 496846 35. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 6 CA 496845 36. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 3 TP 772926 37. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 2 TE 538881 38. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 6 PL 149219 39. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 8 EP 493736 40. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 2 CN 915555 41. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 7 AD 662367 42. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 5 EW 200314 43. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 2 GT 135110 44. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 6 AK 802962 45. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 8 HA 413118 46. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 3 RW 615943 47. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 1 UF 914893 48. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 1 TV 215392 49. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 4 LB 610611 50. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 5 QL 399886 51. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 6 LT 699769 52. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 5 QS 227295 53. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 3 CV 373549 54. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 3 TW 560876 55. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 8 QE 555148 56. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 7 SA 531071 57. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 9 RK 437604 58. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 4 RQ 650272 59. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 5 HK 334945 60. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 8 LS 778707 श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर उपरोक्त राशि 30,000/- रूपये के नोटांे को अखबार के उपर रखवाकर उन पर हल्का-हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री सकुर खां की जामा तलाशी गवाह श्री कपील चौधरी से लिरवाई जाकर परिवादी के मोबाईल फोन व उनके निजी वाहन की चाबी के अलावा कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि उसके पास नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 30,000/-रूपये जो श्री कबीराराम, कनिष्ठ अभियंता को दी जानी है, की राशि के नोटों को परिवादी श्री सकुर खां के पहने हुए कुरते की दाहिनी जेब में 500-

500 रूपये के 60 नोट कुल राशि 30,000/-रूपये को श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री सकुर खां को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को रास्ते में नहीं छुऐ एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि कुर्ते की दाहिनी जेब में से निकाल कर देवे। अगर अभिवादन की जरूरत पडे॰ तो दूर से ही हाथ जोड़कर अभिवादन करें, आरोपी से हाथ नहीं मिलावें। टरेप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेर कर या मन् पदमपाल निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसयू जोधपुर के मोबाईल नं. [redacted] कॉल कर या मिसकॉल कर रिश्वती राशि आदान-प्रदान होने का ईशारा करें। तत्पश्चात् एक डिस्पाॅजल गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितान को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाली महिला कानि. श्रीमती सुशीला के हाथों की अंगुलियों व अगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर नोटों पर पाउडर लगाने वाली श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से डिस्पाॅजल गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर डिस्पोजल गिलास को व जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को पाउडर लगाने वाली श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन-देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करे। समस्त ब्यूरो टीम व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के हाथों को साबुन से साफ धुलवाये गये व ब्यूरो स्टाफ की आपसी जामा तलाशी लिरवाई जाकर अपने-अपने विभागीय परिचय-पत्र एवं अपने-अपने मोबाईल फोन पास रहने दिये गये। कोई भी आपत्तिजनक वस्तु, राषि एवं दस्तावेजात किसी के पास नहीं रहने दिये गये मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा खर्चे के 2,000 रूपये अपने पास रखे। उक्त की गई कार्यवाही की विडियोग्राफी श्री अचलाराम हैड कानि. 67 से मोबाईल से विडियोग्राफी करवाई गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट एवं सुपूदर्गी रिश्वती राशि मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितगणो के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात वक्त 09.55 ए.एम. मन् पदमपालसिह निरीक्षक पुलिस मय श्री गोरधनराम उप अधीक्षक पुलिस हमराह स्वतंत्र गवाहान श्री कपील चौधरी व श्री भूराराम, परिवादी श्री सकुर खां, ब्यूरो जाब्ता श्री रामकिशोर सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्री मेघराज सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्री अचलाराम हैड कानि. श्रीमती मधुमति हैड कानि. श्री प्रकाश कानि. श्री रामचन्द्रसिह कानि. मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजिटल वॉईस रिकार्डर, टरेप बॉक्स व अन्य ट्रेप सामग्री साथ लेकर सरकारी वाहन टवेरा, परिवादी श्री सकुर खां के निजी वाहन एवं स्वयं के निजी वाहन से ब्यूरो कार्यालय से देवीकोट के लिए रवाना होकर वक्त 2.30 पी.एम. पर कार्यालय कनिष्ठ अभियंता जोधपुर डिस्काम (पवस) देवीकोट के पास पहुचां जहा पर वाहनो को रोड़ की साईड में सुरक्षित खडा करवाकर एवं परिवादी से आरोपी के बारे में गोपनीय जानकारी करवाने पर परिवादी ने अपने स्तर पर गोपनीय जानकारी कर बताया कि आरोपी कार्यालय में उपस्थित है। जिस पर वक्त 03.28 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस ने रूबरू गवाहन परिवादी को आवश्यक हिदायत कर गोपनीय ईशारे के बारे में पुनः बताकर कार्यालय का डीवीआर ऑन कर परिवादी श्री सकूर खां को सुपुर्द कर हमरा कानि प्रकाश के आरोपी श्री कबीरराराम कनिष्ठ अभियंता से मिलने एवं रिश्वती राशि का आदान-प्रदान करने हेतु परिवादी के निजी वाहन से कानि श्री प्रकाश को परिवादी के वाहन मे ही बैठे रहने की आवश्यक हिदायत के साथ रवाना कर उनके पीछे श्री अचलाराम हैड कानि. को आवश्यक हिदायत देकर पैदल रवाना किया एवं मन निरीक्षक पुलिस, स्वतंत्र गवाहान एव समस्त हमरायान के कार्यालय कनिष्ठ अभियंता जोधपुर डिस्काम देवीकोट (पवस) कें आस-पास मन् निरीक्षक पुलिस के निर्देशा०नुसार अपनी-अपनी पोजिशन लेकर परिवादी के गोपनीय ईशारे का इंतजार किया। वक्त 03.38 पी.एम. पर कानि श्री प्रकाश ने जरिये फोन मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि परिवादी सकूर खा बिना कोई गोपनीय ईशारा किये पुनः मेरे पास उपस्थित आकर गोपनीय रूप से डीवीआर सुपुर्द किया जिसे मैने स्वीच आॅफ किया। परिवादी ने बताया कि रिश्वती राशि आरोपी कबीरराराम ने पास ही खडे अपने प्राईवेट ड्राईवर श्री त्रिपालाराम को देने हेतु कहा है जिस पर मै राशि गाडी मे पडी होने का बहाना बनाकर उपस्थित आया हू एव मार्गदर्शन मांग रहा है जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा कानि श्री प्रकाश को निर्देशित किया कि परिवादी को पुनः डीवीआर ऑन कर सुपुर्द कर रिश्वती राशि कबीरराराम के कहेअनुसार अनके प्राईवेट ड्राईवर त्रिपालाराम को देने हेतु आवश्यक हिदायत देकर रवाना करे। तत्पश्चात वक्त 03.42 पी.एम. पर रूबरू उपरोक्त मौतबिरान के परिवादी श्री सकुर खां पुत्र श्री गजण खां निवासी इमामू की ढ़ाणी देवीकोट, जैसलमेर ने कार्यालय कनिष्ठ अभियंता जोधपुर डिस्कॉम देवीकोट (पवस) जैसलमेर ने कार्यालय परिसर से पूर्व निर्धारित गोपनीय ईषारा अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर किया जिस पर मन पदमपाल सिंह निरीक्षक पुलिस हमरा दोनों मौतबीर एवं ब्यूरो जाप्ते के कार्यालय परिसर में परिवादी के पास पहुचां एवं उन्हे पूर्व में दिया गया कार्यालय का डीवीआर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री

सकुर खां ने अपने पास ही खडे० एक व्यक्ति जो ग्रे रंग का स्वेटर व काले रंग की पेंट पहने हुआ खड़ा था की ओर ईशारा कर बताया कि यह श्री त्रिपालराम है जिनकों श्री कबीरराम कनिष्ठ अभियंता द्वारा मेरे से राशि मांगकर देने के लिए कहने पर मैनंठे श्री त्रिपालराम को अभी-अभी रिश्वती राशि 30,000 रूपये दिये है जो श्री त्रिपालराम ने मेरे से प्राप्त कर गिनकर अपनी पहनी हुई आगे की दाहिनी जेब में रखे है। जिस पर परिवादी के पास खडे० व्यक्ति को मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना मौतबिरान एवं समस्त हमरायान का परिचय देकर उनका परिचय पूछने पर उसने अपना नाम त्रिपालराम पुत्र श्री कुटलाराम जाति मेघवाल उम्र 24 वर्ष पेशा प्राईवेट टेक्सी ड्राईवर निवासी कोटड़ी तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर होना बताया जिस पर मन निरीक्षक पुलिस ने श्री त्रिपालराम को आने के मन्तव्य से अवगत करवाकर परिवादी की ओर ईशारा कर पूछा गया कि क्या आप इन्हें जानते है तथा अभी कोई इनसे राशि प्राप्त की है। जिस पर श्री त्रिपालराम ने कहा कि मैं इन्हें नहीं जानता हूं मगर अभी थोड़ी देर पहले यह आदमी मेरे जीजा जी श्री कबीरराम जेईएन से मिले तथा कुछ वार्ता करने के पश्चात कबीरराम व यह व्यक्ति मेरे पास ही खड़े थे तथा कबीरराम ने इस व्यक्ति को कहा कि यह राशि श्री त्रिपालराम को दे दो। जिस पर इन्होनें राशि गाड़ी में रखी होना कहकर बाहर आये तथा कुछ देर बाद पुनः मेरे पास आकर इस व्यक्ति ने 500-500 रूपये का एक बन्डल मुझे दिया। उक्त राशि को मैनें गिनकर अपनी पहनी हुई पेंट की आगे की दाहिनी जेब रखे है। जिस पर श्री त्रिपालराम को व समस्त हमरायान को साथ लेकर कुछ दूरी पर स्थित कार्यालय कनिष्ठ अभियंता देवीकोट के सामने खड़े काले रंग का जैकट व जिन्स पहने हुए व्यक्ति के पास पहुचे जहां पर परिवादी श्री सकुर खां ने उक्त व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यहीं श्री कबीरराम कनिष्ठ अभिंयता है जिन्होनें अभी-अभी मेरे से रिश्वती राशि 30,000 रूपये मांगकर उक्त राशि पास ही खड़े श्री त्रिपालराम को देने के लिए कहा जिस पर मैनंठे कबीरराम जेईएन के कहेनुसार उक्त राशि श्री त्रिपालराम को दी जिस पर उन्होनें राशि प्राप्त कर गिनकर अपनी पहनी हुई पेंट की आगे की दाहिनी जेब में रखी है। जिस पर पास ही खड़े काले रंग का जैकेट व जिन्स पहने हुए व्यक्ति को समस्त हमरायान का परिचय देकर उस व्यक्ति से उसका परिचय पूछने पर उसने अपना नाम कबीरराम पुत्र श्री पूंजाराम जाति मेघवाल उम्र 31 वर्ष पेशा नौकरी निवासी जी 214 सांवल कॉलोनी सरताज होटल के पीछे जैसलमेर हाल कनिष्ठ अभियंता जोधपुर डिस्कॉम देवीकोट (पवस) जैसलमेर होना बताया जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा पास ही खड़े परिवादी की ओर ईशारा कर श्री कबीरराम कनिष्ठ अभियंता से पूछा गया कि क्या आप इसे जानते हो तथा अभी-अभी कोई राशि इससे पास ही खड़े श्री त्रिपालराम की तरफ ईशारा कर दिलाने के बारे में पूछने पर श्री कबीरराम ने कहा कि हां मैं इसे जानता हूं यह श्री सकुर खां निवासी देवीकोट है जो अभी-अभी अपनी ट्यबवेल पर नया ट्रान्सफोर्मर लगाने के बारे में मिले थे मैनें इनसे किसी प्रकार की राशि की मांग नहीं की हैं न ही मैनें कोई राशि श्री त्रिपालराम को देने की बात कही है। जिस पर पास ही खड़े परिवादी श्री सकुर खां ने आरोपी श्री कबीरराम जेईएन के उक्त कथनों का खण्डन करते हुए कहा कि साहब यह झूठ बोल रहे है मैं इनसे इनके कार्यालय परिसर में आकर मिला एवं मेरे नया ट्रान्सफार्मर लगाने एवं मेरे बिजली लाईन को यथावत रखने एवं बिना अवरोध ट्यूबवेल चलाने की वार्ता करने पर इन्होनें मेरे उक्त जायज कार्य की एवज में पूर्व में तय की गई रिश्वती राशि 30,000 मांगकर पास ही खड़े अपने साले श्री त्रिपालराम को देने की बात कहने पर मैनें राशि इनको नहीं देकर राशि बाहर गाड़ी में रखी होना बताकर मैं मेरी गाड़ी के पास आया तथा मैनें गाड़ी में बैठे श्री प्रकाश कानि. को डीवीआर सुपुर्द किया जिन्होने डीवीआर का स्वीच आॅफ कर अपने पास रखा जिस पर मैने श्री प्रकाश कानि. को उपरोक्त बात राशि श्री कबीरराम द्वारा पास ही खड़े श्री त्रिपालराम को देने को कहना बताया जिस पर श्री प्रकाश कानि. अपने मोबाईल फोन से आपके मोबाईल पर वार्ता कर मेरे द्वारा बतायी बात आपको बताने पर आप द्वारा कबीरराम के कहेनुसार राशि श्री त्रिपालराम को देने की बात कहने पर श्री प्रकाश कानि. ने डीवीआर का स्वीच ऑन कर रिश्वती राशि आदान-प्रदान करने हेतु कार्यालय कनिष्ठ अभियंता के लिए रवाना किया। जिस पर मैं श्री कबीरराम व श्री त्रिपालराम के पास पहुचां एवं श्री कबीरराम जेईएन के कहेनुसार रिश्वती राशि 30,000 रूपये श्री त्रिपालराम को सुपुर्द करने पर श्री त्रिपालराम ने मेरे से उक्त राशि प्राप्त कर, गिनकर अपनी पहनी हुई पेंट की आगे की दाहिनी जेब में रखी है। मेरे को श्री कबीरराम जेईएन द्वारा कहने पर ही श्री त्रिपालराम ने 30,000 रूपये रिश्वती राशि मेरे से प्राप्त कर, गिनकर अपनी पहनी हुई पेंट की आगे की दाहिनी जेब में रखी है। जिस पर श्री कबीरराम जेईएन व त्रिपालराम से परिवादी श्री सकुर खां से प्राप्त की गई राशि के बारे में पुनः पूछने पर दोनों ही निरूत्तर रहें। कुछ समय चुप रहकर कबीरराम ने बताया कि साहब गलती हो गई साहब माफ कर दो तथा कुछ सेट कर लेते है। तत्पश्चात उक्त कार्यालय में ठेकेदारों एवं ग्रामीणों की भीड़ इक्कठी हो जाने के कारण श्री त्रिपालराम के दोनों हाथ कलाई के उपर से उपस्थित जाब्ते से पकड़वाये जाकर मन निरीक्षक पुलिस के निजी वाहन में बिठाकर एवं श्री कबीरराम जेईएन को भी साथ लेकर हमरा स्वतंत्र गवाह श्री कपील चौधरीपुलिस चौकी देवीकोट पहुचने के लिए रवाना हुए अन्य जाब्ते को सरकारी वाहन के पुलिस चौकी देवीकोट पहुचने हेतु निर्देशित कर पुलिस चौकी देवीकोट पहुचां, उपस्थित जाप्ते से स्वीकृति प्राप्त कर अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए दोनों आरोपीगण से श्री सकुर खां से प्राप्त की रिश्वती राशि के बारे में पुनः स्पष्टीकरण पूछने पर आरोपीगण द्वारा परिवादी से किसी तरह की राशि प्राप्त करने से मना किया। श्री त्रिपालराम पुत्र श्री कुटलाराम जाति मेघवाल उम्र 24 वर्ष पेशा प्राईवेट टेक्सी ड्राईवर निवासी कोटड़ी तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए टरेप बॉक्स मंगवाया जाकर आरोपी की हाथ धोवन

की विधिवत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए टरेप बॉक्समें से दो प्लास्टिक डिस्पोजल की साफ गिलास निकाल कर उक्त डिस्पोजल गलासों में साफ पीने का पानी भरवाया गया। उक्त दोनों गिलासो में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया जाकर घोल तैयार किया गया तो दोनो गिलासो के घोल का रंग, रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगण ने घोल का रंग, रंगहीन होना स्वीकार किया। एक गिलास के तैयार रंगहीन घोल में आरोपी श्री त्रिपालराम के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगण ने उक्त घोल का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग काँच की शीशीयों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् दूसरे डिस्पोजल गिलास के तैयार रंगहीन घोल में आरोपी श्री त्रिपालराम के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबो कर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगण ने उक्त घोल के रंग को हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग काँच की शीशीयों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात उपरोक्त धोवन में प्रयुक्त की गई डिस्पोजल गिलासों को कार्यालय के डस्टबिन में डलवाया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री त्रिपालराम की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री कपील चौधरी, सूचना सहायक से लिरवाने पर आरोपी श्री त्रिपालराम के पहनी हुई पेंट की आगे की दाहिनी जेब में 500-500 रूपये का एक बंडल मिला जिसे श्री कपील चौधरी से गिनवाने पर कुल राशि 30,000/-रूपये होना पाई गई। गवाह श्री भुराराम पटवारी को पूर्व से मुर्तिब की गई फर्द पेशकशी रिश्वती राशि सुपुर्द कर पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बर का मिलान उक्त बरामदगी राशि के नोटों के नम्बरों से करवाने पर नोटों के नम्बर हूबहू फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरों के अनुसार होना पाये गये। उक्त भारतीय मुद्रा 30,000/-रूपये को बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। आरोपी श्री त्रिपालराम की जामा तलाशी में ही उनकी पहनी हुई पेंट की पीछे की जेब में एक गाड़ी की चाबी व एक मोबाईल फोन मिला उक्त फोन विवो कम्पनी होकर उसमें दो सिम लगी हुई पाई गई। जिसके नम्बर [redacted] व दूसरी सिम बंद है एवं आईएमईआई नम्बर 1. 862297053518717/58 2. 862297053518709/58 है उक्त मोबाईल फोन प्रकरण में वांछित होने से कब्जा एसीबी लिया गया एवं गाड़ी की चाबी को पुनः उन्हें सुपुर्द किया। तत्पश्चात श्री कबीराराम से परिवादी श्री सकुर खां के पेंडिंग कार्य संबंधित दस्तावेज के बारे में पूछने पर उसने बताया कि श्री सकुर खां के उक्त ट्यूबवेल पर लगे ट्रान्सफार्मर की फ्ठेलियर रिपोर्ट मेरे हस्ताक्षर कर सहायक अभियंता फतेहगढ़ के कार्यालय में भेज रखी है जो वहीं से मिलेगी। जिस पर श्री गोरधनराम उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी के उक्त पेंडिंग कार्य से संबंधित दस्तावेज को प्राप्त करने हेतु कार्यालय सहायक अभियंता फतेहगढ़ पहुचने का अनुरोध कर उन्हें दस्तावेज प्राप्त करने हेतु रवाना किया गया। साथ ही आरोपी श्री कबीराराम जेईएन के रहवासी मकान जी 214 सांवल कॉलोनी सरताज होटल के पीछे जैसलमेर की खाना तलाशी ली जाने हेतु श्री नरपतचंद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जैसलमेर से निवेदन किया गया । तत्पश्चात रिश्वती राशि बरामदगी स्थल श्री त्रिपालराम के पहनी हुई पेंट की आगे की दाहिनी जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने के कारण उनके पहनने के लिए एक अन्य लोवर की व्यस्था कर पहनी हुई पेंट को उतरवाया गया। इसके बाद टे॰प बा॰ॅक्स से एक नया डिस्पोजल गिलास निकलवाकर गिलास में पीने का साफ पानी भरवाया गया। उक्त गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाकर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगण ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार रंगहीन घोल में रिश्वती राशि बरामदगी स्थल आरोपी की पहनी पेंट की आगे की दाहिनी जेब को उल्टाकर दो-तीन बार डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितान ने घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया गया। उक्त गहरे गुलाबी रंग के घोल को कांच की दो शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर चस्पों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों को शील्ड मोहर कर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित किया गया। उपरोक्त की गई धोवन की कार्यवाही की विडियोग्राफी मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन से करवाई गई। उक्त पेंट की जेब को सुखोकर जेब पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर एक कपड़े की थैली में डालकर कपडे़ की थैली को शील्ड मोहर किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त समस्त कार्यवाही की फर्द हाथ धोवन एवं बरामदगी रिश्वती राशि मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात वकत 06.05 पी.एम. पर आरोपी श्री कबीराराम पुत्र पूंजाराम जाति मेघवाल उम्र 31 वर्ष निवासी जी-214 सावल कॉलोनी सरताज होटल के पिछे जैसलमेर हाल कनिष्ठ अभियंता जोधपुर डिस्काम देवीकोट (पवस) जैसलमेर को रूबरू मौतबिरान उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी, गिरफ्तार किया गया एवं वक्त 06.15. पी.एम. पर सहआरोपी श्री त्रिपालराम पुत्र श्री कुटलाराम जाति मेघवाल उम्र 24 वर्ष निवासी पैशा प्राईवेट टेक्सी ड्राईवर निवासी कोटड़ी तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर को रूबरू मौतबिरान उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी, गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात श्री गोरधनराम उप अधीक्षक पुलिस हमरा श्री अचलाराम हैड कानि के सरकारी वाहन से कार्यालय सहायक अभियंता जोधपुर डिस्काम फतेहगढ(पवस) जैसलमेर गये हुए

पुनः हाजिर आये तथा परिवादी श्री सकूर खां के पैण्डिंग कार्य से संबधित उनके रिश्तेदार हबीब खांन पुत्र अलारख खान फतहेसर देवीकोट के कृषि कनेक्शन की मूल पत्रावली लेकर पेश की जिसे रूबरू गवाहान प्राप्त की जाकर रूबरू गवाहान अवलोकन किया गया जिसमे श्री हबीब खा को एजी स्पेशल देने के दस्तावेज एव उनके द्वारा विभागीय नियमानुसार स्वय के खर्चे से बिजली पोल व अन्य उपकरण लगाने के दस्तावेज लगे हुए है जिस पर उक्त पत्रावली के क्रम संख्या 01 से 35 तक के पेज पृष्ठाकिंत करवाकर प्रथम पृष्ठ एवं अंतिम पृष्ठ पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा ब्यूरो जाप्ते श्री गोरधनराम उपअधीक्षक पुलिस एव उपस्थित जाब्ता को टे्प कार्यवाही में लिये गये प्रादर्श, जप्त रिश्वती राशि एवं टरेप बॉक्स अन्य सामग्री एवं सह आरोपी त्रिपाल राम को सुरक्षित संभलाया जाकर आरोपी श्री कबीराराम कनिष्ठ अभियंता व दोनों स्वतंत्र गवाहान एव परिवादी सकूर खा को हमरा लेकर मय श्री रामकिशोर सहायक उप निरीक्षक, श्री अचलाराम हैड कानि., एवं श्री रामचन्द्रसिह कानि. के जरिये सरकारी टवेरा वाहन मय चालक के आरोपी श्री कबीराराम कनिष्ठ अभियंता कार्यालय कनिष्ठ अभियंता जोधपुर डिस्काम देवीकोट (पवस) के लिये वास्ते घटनास्थल निरीक्षण रवाना होकर कार्यालय परिसर में पहुंचा एवं दोनो गवाहान की उपस्थिति में परिवादी श्री सकुर खां की निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल एवं हालात मौका मुर्तिब किया जाकर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात वक्त 08.18 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस हमरा दोनो स्वतंत्र गवाहान मय गिरफतारसुदा आरोपी कबीराराम को साथ लेकर कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता जोधपुर डिस्काम देवीकोट पवस के परिसर मे स्थित उनके कार्यालय कक्ष मे पहुचा एव कार्यालय कक्ष की खाना तलाशी प्रारंभ की गई। खाना तलाशी मे कक्ष मे रखी टेबल पर रखा एक ट्रान्सफार्मर डिटेल रजिस्टर मिला जिस पर एजीएससीओ रजिस्टर लिखा हुआ है जिसका अवलोकन करने पर उस रजिस्टर मे प्रकरण से संबधित ट्रान्सफार्मर का विवरण अंकित होने से कब्जा एसीबी लिया जाकर फर्द खाना तलाशी मुर्तिब कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात मौके कार्यवाही के बाद वहां से रवाना होकर मय गिरफ्तारशुदा मुलजिम श्री कबीराराम हमरा जाब्ता के पुलिस चौकी देवीकोट पहुंचा। एवं मन् निरीक्षक पुलिस गिरफ्तारशुदा मुल्जिम श्री कबीराराम कनिष्ठ अभियंता, दोनों स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो दल के रवानासुदा पुलिस चौकी देवीकोट पहुचा तथा प्रकरण के फर्दात अनुसार मालखाना आईटम एवं टरेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, एव गिरफतारसुदा सह आरोपी को स्वयं के जिम्मे लिया, मन् निरीक्षक पुलिस मय परिवादी,दोनो स्वतंत्र गवाहान मय ब्यूरो जाब्ता, गिरफतारसुदा दोनो मुल्जिमान श्री कबीराराम जेईएन एव श्री त्रिपालराम प्राईवेट टैक्सी चालक को साथ लेकर मय फर्दात अनुसार मालखाना आईटम, बरामदा रिश्वती राशि, ट्रैप बाक्स, लैपटाप, प्रिन्टर आदि सामग्री के सरकारी एव निजी वाहनो से पुलिस चौकी से कार्यालय हाजा के लिये रवाना होकर कार्यालय हाजा पर पहुचा एवं मालखाना आईटम फर्दात अनुसार सहआरोपी श्री त्रिपालराम के दोनो हाथो के धोवन की शील्डसुदा शीशीया मार्क आरएच 1, आरएच 2, एलएच 1, एलएच2 रिश्वत राशि बरामदगी स्थल सहआरोपी त्रिपालराम के पहनी हुई पेंट के आगे की दाहिनी जेब का लिया गया धोवन की शील्डसुदा शीशीया, बरामदा रिश्वती राशि 30,000 रूप्ये शील्डचिट सुदा, सह आरोपी त्रिपालराम के पेंट का कपडे की थेली का शील्डसुदा पैकैट, सह आरोपी त्रिपालराम का एक वीवो कम्पनी का मोबाईल मय सिम एव आरोपी कबीराराम का मोबाईल एक आईफोन 14 प्लस मय सिम को मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि को सुरक्षित हालात मे सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गयां एव डीवीआर जिसमे वक्त लेनदेन की वार्ता रिकार्ड हे को मन निरीक्षक पुलिस को अपनी अलमारी मे सुरक्षित रखा। ताबाद दोनो स्वतंत्र एव परिवादी को प्रातः 9 एएम पर उपस्थित आने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। दिनांक 10.12.2024 वक्त 08.45 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दसुदा परिवादी श्री सकुर खा, दोनो गवाहान श्री कपिल चोधरी एव भूराराम उपस्थित आये जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी अलमारी मे सुरक्षित लिफाफे मे रखा मेमोरी कार्ड जिसमे दिन०ाक 5.12.2024 की परिवादी एव आरोपी कबीराराम के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है जिसको लिफाफे से निकालकर श्री गणेश कानि से पुनः नये डीवीआर मे डलवाकर डीवीआर को कार्यालय के कम्प्यूटर से जोडकर कम्प्यूटर के माध्यम से रिकार्ड वार्ता को रूबरू गवाहान एव परिवादी की उपस्थिति मे शब्द ब शब्द सुन सुन कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन मुर्तिब की जाकर संबधितगणो के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त मूल मेमारी कार्ड से दो पैन ड्राईव मे रिकार्ड वार्ता सेव करवाई गई। तत्पश्चात मूल मेमोरी कार्ड को रूबरू मोतबिरान कपडे की थेली मे डालकर थेली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर थेली को शील्ड मोहर किया गया एव संबधित गण के हस्ताक्षर करवाये गये एव दोनो पैन ड्राईव को डब मानते हुए खुली हालत मे रखा गया। रिकार्ड वार्ता मे एक आवाज आरोपी श्री कबीराराम की होना एव एक आवाज परिवादी सकूर खा की स्वयं की होना परिवादी द्वारा पहचान की गई। मूल मेमोरी कार्ड के शील्डसुदा पैकैट एव दोनो डब पैन ड्राईव खुली हालत मे मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। वक्त 10.50 ए.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी अलमारी मे सुरक्षित रखा डीवीआर जिसमे दिनांक9.12.2024 की परिवादी सकूर खा एव आरोपी कबीराराम के मध्य लेनदेन से पूर्व हुई वार्ता तथा परिवादी सकूर खा एव सहआरोपी श्री त्रिपालराम के मध्य हुई वक्त लेनदेन रिश्वत राशि हुई वार्ता रिकार्ड है जिसको रूबरू गवाहान अलमारी से निकालकर श्री गणेश कानि से डीवीआर को कार्यालय के कम्प्यूटर से जोडकर कम्प्यूटर के माध्यम से रिकार्ड वार्ता को रूबरू गवाहान एव परिवादी की उपस्थिति मे शब्द ब शब्द सुन सुन कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि लेनदेन पूर्व वार्ता एव वक्त रिश्वती राशि लेनदेन वार्ता मुर्तिब की जाकर

संबधितगणो के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त मूल डीवीआर से दो पैन ड्राईव मे रिकार्ड वार्ता सेव करवाई गई। तत्पश्चात मूल डीवीआर को रूबरू मोतबिरान कपडे की थेली मे डालकर थेली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर थेली को शील्ड मोहर किया गया एव संबधित गण के हस्ताक्षर करवाये गये एव दोनो पैन ड्राईव को डब मानते हुए खुली हालत मे रखा गया। रिकार्ड वार्ता मे एक आवाज आरोपी श्री कबीराराम, दूसरी आवाज सहआरोपी श्री त्रिपालराम की होना एव एक आवाज परिवादी सकूर खा की स्वयं की होना परिवादी द्वारा पहचान की गई। मूल डीवीआर के शील्डसुदा पैकैट एव दोनो डब पैन ड्राईव खुली हालत मे मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू गवाहान एव परिवादी की उपस्थिति मे समस्त कार्यवाही के दौरान अपने मोबाईल से की गई वीडियोग्राफी की कार्यालय के कम्प्यूटर के माध्यम से एक पैन ड्राईव मे सेव कर पैन ड्राईव को खुली हालत मे लिफाफे मे डालकर रखा गया। अब तक की समस्त कार्यवाही से परिवादी श्री सकूर खा द्वारा अपने रिश्तेदार हबीब खा पुत्र श्री अल्ला रख निवासी देवीकोट से किराये पर ली गई 80 बीघा जमीन पर दो साल पूर्व लिये गये सुपर श्रेणी के एग्रीकल्चर विधुत लाईन के पोल लगवाकर कनेक्शन एव ट्रान्सफार्मर विभागीय नियमानुसार विधुत विभाग मे आवेदन कर किराये की भूमि पर स्वयं के खर्चे से लगवाया गया। उक्त सुपर श्रेणी का ट्रान्सफार्मर करीब दस रोज पूर्व जल जाने पर परिवादी द्वारा संबधित कनिष्ठ अभियन्ता श्री कबीराराम से सम्पर्क कर नया ट्रान्सफार्मर लगाने का अनुरोध करने पर श्री कबीराराम कनिष्ठ अभियन्ता जोधपुर डिस्काम देवीकोट द्वारा फेलियर रिपोर्ट के आधार पर दूसरा नया ट्रान्सफार्मर इश्यू किया गया। तत्पश्चात दो चार रोज बाद कबीराराम द्वारा परिवादी के टूयबवैल पर पहुचकर परिवादी से कहा कि तम्हारे सुपर श्रेणी के ट्रान्सफार्मर की जगह सामान्य श्रेणी का ट्रान्सफार्मर ईश्यू हो गया है और ट्रान्सफार्मर खोलकर लें गया। जिस पर परिवादी सकूर खा दूसरे दिन श्री कबीराराम जेईएन से अपनी टयूबवैल पर दूसरा नया ट्रान्सफार्मर लगवाने हेतु मिलने पर श्री कबीराराम द्वारा नया ट्रान्सफार्मर लगाने, विधूत लाईन के पोल यथावत रखने एव बिना बाधा टयूबवैल चलाने देने की एवज मे 50,000 रूप्ये रिश्वत की मांग करना। परिवादी के उक्त तथ्यो की रिपोर्ट प्राप्त होने पर मामला प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) 2018 का पाया जाने पर दिनांक 5.12.2024 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाया जाने पर आरोपी श्री कबीराराम कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा परिवादी से उनके उपरोक्त जायज कार्य की एवज मे पहले 50,000 रूप्ये की मांग करना तथा परिवादी द्वारा राशि ज्यादा होने के कारण कम करने की विनती करने पर 30,000 रूप्ये लेने के लिये सहमत होना की वार्ता करना आदि रिश्वती राशि मांग की पुष्टि होने पर दिनांक 9.12.2024 को रूबरू गवाहान ट्रैप कार्यवाही का आयोजन करने पर आरोपी कबीराराम कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा परिवादी सकूरखा से उनके उपरोक्त जायज कार्य की एवज मे तय की गई रिश्वती राशि 30,000 रूप्ये मांगकर पास ही खडे अपने सगे साले श्री त्रिपालराम प्राईवेट टैक्सी ड्राईवर को रिश्वती राशि 30,000 दिलाना एव रिश्वती राशि सहआरोपी श्री त्रिपालराम की पहनी हुई पेंट की आगे की दाहिनी जेब से रूबरू गवाहान बरामद होना। सहआरोपी त्रिपालराम के हाथो एव रिश्वत राशि बरामदगी स्थल पेंट की जेब का विधिवत धोवन लेने पर क्रमश हल्का गुलाबी एव गुलाबी रंग आना एव परिवादी के कार्य से संबधित रजिस्टर उनके कार्यालय कक्ष की टेबल से कब्जा एसीबी लेना तथा पत्रावली आरोपी कबीराराम के कहेअनुसार सबंधित सहायक अभियन्ता फतेहगढ कार्यालय मे उपस्थित रेखाराम लाईनमैन से प्राप्त करना जिसमे आरोपी कबीराराम कनिष्ठ अभियन्ता के हस्ताक्षरित पत्र लगे होना आदि तथ्यो से आरोपी श्री कबीराराम द्वारा परिवादी सकूरखा से उनके किराये की भूमि पर स्थित टयूबवैल पर नया ट्रान्सफार्मर लगाने, विधूत लाईन के पोल यथावत रखने एव बिना बाधा टयूबवैल चलाने देने की एवज मे 30,000 रूप्ये की रिश्वती राशि की मांग कर वक्त रिश्वत राशि लेनदेन आरोपी कबीराराम द्वारा पूर्व मे तय की गई रिश्वती राशि 30,000 रूप्ये परिवादी सकूर खा से मांगकर पास खडे अपने सगे साले त्रिपालराम प्राईवेट टैक्सी ड्राईवर को दिलाकर आपराधिक कृत्य अन्तर्गत धारा 7, 7ए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) 2018 व 61 बीएनएस 2023 का कारित करना प्रथत दृष्टया प्रमाणित पाया गया है अतः आरोपी श्री कबीराराम पुत्र श्री पुंजाराम जाति मेघवाल उम्र 31 वर्ष पेशा नौकरी निवासी गांव पोस्ट भेलानी तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर हाल निवासी जी 214 सांवल कोलोनी सरताज होटल के पीछे जैसलमेर हाल कनिष्ठ अभियन्ता पवस जोधपुर डिस्काम देवीकोट जैसलमेर एव सहआरोपी श्री त्रिपालराम पुत्र श्री कुटलाराम उम्र 24 वर्ष पेशा प्राईवेट टेक्सी ड्राईवर निवासी कोटडी तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) 2018 व 61 बीएनएस 2023 के तहत बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित की जा रही है। भवदीय (पदमपाल सिंह) निरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट जोधपुर............कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पदमपाल सिह, पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट जोधपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7, 7ए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)व 61 बीएनएस 2023 में आरोपीगण 1-श्री कबीराराम पुत्र श्री पुंजाराम जाति मेघवाल उम्र 31 वर्ष पेशा नौकरी निवासी गांव पोस्ट भेलानी तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर हाल निवासी जी 214 सांवल कोलोनी सरताज होटल के पीछे जैसलमेर हाल कनिष्ठ अभियन्ता पवस जोधपुर डिस्काम देवीकोट जैसलमेर एवं 02- श्री त्रिपालराम पुत्र श्री कुटलाराम उम्र 24 वर्ष पेशा प्राईवेट टेक्सी ड्राईवर निवासी कोटडी तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर

प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री मांगीलाल राठौड, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जालौर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट ---- पर अंकित है।(राहुल कोटोकी) उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1575-78 दिनांक 10-12-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर। 3-सचिव(प्रशासन), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,स्पेशल यूनिट जोधपुर। उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** MANGI LAL RATHORE **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Rahul Katakey
Location: Rajasthan,IN
Date: 10/12/2024 18:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): RAHUL KATAKEY

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	10/07/1993				
2	Male	2000				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)